





बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 1 अंक 36

ग्रामीण ऋण में असमानता

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण, सितंबर 2025 में अन्य बातों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में प्रगति और इसमें लगातार जारी खामियों का जिक्र किया गया है। इस सर्वेक्षण में एक सकारणत्मक फल यह निकल कर आया है कि अब 54.5 फीसदी परिवारों को औद्योगिक ऋणों से ऋण लेते हैं, जो 2024 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे उंचा स्तर है। मगर लगभग 22 फीसदी ग्रामीण परिवार अभी भी पूरी तरह अनीपचारिक ऋणों से प्राप्त ऋणों पर निर्भर हैं। यह वर्षों अभी भी ऊंची ब्याज दर का भुगतान कर रहा है। औसत ब्याज दरें लगभग 17-18 फीसदी के आसपास हैं, जिनमें से एक तिहाई कर्जधारक सालाना 24 फीसदी से अधिक भुगतान करते हैं। लगभग 24 फीसदी परिवार औपचारिक एवं अनीपचारिक दोनों तरह के ऋणों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, लगभग 30 फीसदी परिवार अपने परिवर्जनों एवं दोस्तों से ऋण लेते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। इस तरह, मले ही बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने में सफल रहे हैं मगर ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऋण के अनीपचारिक ऋणों पर निर्भर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 2024-25 को सालाना रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्वि रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या मार्च 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 56,579 हो गई। मगर अब भी कई परिवार साहूकारों पर निर्भर हैं जो यह संकेत दे रहा है कि केवल बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। ढाँचागत व्यवस्था भी एक भूमिका निभाती है। कई ग्रामीण परिवारों की आय अस्थिरता, मौसमी जोखिमों और सरकार से घटे हुए हस्तान्तरण का सामना करना पड़ता है, जो अब मासिक आय का सिर्फ 9.27 फीसदी है। यह आँकड़ा सर्वेक्षण शुरू होने के बाद सबसे कम है। इन परिस्थितियों के भारों भरणम ब्याज के व्यावहृिक अनीपचारिक ऋणों की तत्काल उपलब्धता और उनका लचीलापन अस्तित्व बनाए रखने की रणनीति के रूप में काम करते हैं।

सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक भी ऋण लेने के उद्देश्यों पर असर डालते हैं। नौति आयोग की 2025 को एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 से महिलाओं को तरफ से ऋणों की मांग 22 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है, जिनमें 60 फीसदी कर्जधारक कन्यावें एवं ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखती हैं। कई लोग ऋण लेना तो चाहते हैं मगर इसके लिए उनकी तैयारी दुर्बल नहीं होती। मसलन दस्तावेज की कमी, गारंटी दाता की कमी एवं महत्वपूर्ण ढाकड़ होना हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण असमानता दूर करने के लिए शाखा विस्तार के अलावा दूसरे कदम भी उठाने की जरूरत है। आगे की राह दोतरफ है। सबसे पहले, प्राथमिकता ऋण ढाँचे को न केवल लक्ष्यों को बल्कि ऋण गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर मजबूत बनाया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों को होने वाले ऋण आवंटन पर नजर रखने और छोटे ऋणों, कम अवधि के ऋण वाली योजनाओं तैयार से साहूकारों पर निर्भरता कम होनी। इसके लिए बैंकों और सहकारी समितियों के लिए केंद्रित तंत्र तैयार किया आवश्यकता है।

दूसरा बा, लगभग काम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना या सकता है। 'आधार'-आधारित समूह उपारी व्यवस्था, अंतर-परिचालन वाले डिजिटल वॉलेट और मोबाइल-आधारित शिक्षात्मक निवारण तंत्र यह अंतर पट सकते हैं। बेहतर प्रोसास और डिजिटल उपकरणों ने लेन बैंक प्राथमिकता ग्रामीण परिवारों और संस्थाओं के बीच समन्वय का माध्यम बन सकते हैं। फिनटेक यानी वित्त-तकनीक कंपनियों कर्जधारकों में सुचारु करने में भी मददगार होनी चाहिए। ग्रामीण आजीवनिका कार्यक्रमों से जुड़ी बुनियादी ढाँचा विकास लोगों को साहूकारों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। ग्रामीण ऋण व्यवस्था में अच्छी प्रगति की है लेकिन अनीपचारिक ऋणों की लगभग और निर्भरता खोती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण भारत में ऋण असमानता दूर करना समावेशी विकास शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ढाकड़ होना।

आईटीसी के बिना जीएसटी का मकसद अधूरा

बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र की बहाली के बिना जीएसटी सुधार का एजेंडा अधूरा ही रहेगा। बता रहे हैं विजय केलकर, अरविंद मोदी और अजय शाह

अप्रत्यक्ष करधान व्यवस्था अगर त्रुटिपूर्ण हो तो यह आर्थिक वृद्धि की राह में एक बड़ा रुकावट बन जाता है। हम इस प्रणाली को दुरुस्त करना है। हम इस प्रणाली को दुरुस्त करने के शुरुआती प्रयासों का भी हिस्सा थे जब मूल्य वॉलेंट कर (वैट) की तरफ कदम बढ़ाया गया था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित अप्रत्यक्ष कर धारण थी। वट को हमने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में पुेश किया। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ उपभोग कर बनाना है, जो उत्पादन के तत्कों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रति तटस्थ हो। यह किसी भी देश में अप्रत्यक्ष करधान का सही तरीका है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जीएसटी का एक दमदार प्रावधान है। व्यापक आईटीसी करों के अतिरिक्त प्रावधानों को दूर करने के साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि कर उत्पादन प्रत्येक स्तर केवल मूल्य बढ़ाने पर लगाया जाए। इससे यह पता होता है कि केवल उपभोग पर ही कर लगे जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने में मदद मिलती है।

मगर वित्तम में जीएसटी इस प्रमुख विवाद का उत्पन्नक बन गया है। यह प्रणाली एक ऐसा उद्धारण बन चुकी है कि इसे लैट पिचेड 'आइसोमॉर्फिक मिमिक्री' (समरूपी अनुकरण) कहते हैं, यानी इसने वैधान अतिक्रम के लिए अनुभूतिक जीएसटी का बाहरी चोला धार लिया है मगर अंतर्निहित लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। आईटीसी ढाँचे की राह में कानूनी एवं प्रक्रियात्मक उपलब्ध बाधा डाल रही हैं। कई मामलों में भारतीय जीएसटी पूर्व की उत्पाद एवं सेवा कर प्रणाली को सरल उत्पादन पर लगाई जाने वाली करधान व्यवस्था बन कर रह गई है।

जीएसटी की कार्य प्रणाली एक निचोड़ आईटीसी प्रणाली पर तैयार की गई है। जब कोई व्यवसाय अपने कच्चे माल (इनपुट) जैसे सामग्री, सेवाओं या इन्पुट्स वस्तुओं पर कर भुगतान करता है तो उसे तुरंत पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि कर का लाना संवैधानिक व्यक्ति तक आसानी से पहुँच जाए। आईटीसी रुकने से आर्थिक तर्क कमजोर हो जाता है। कर उपभोग के बजाय व्यवसाय या उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगाया वट हो जाता है, जो आधुनिक ब्रूइंग के माध्यम से एक लगान के रूप में जुड़ जाता है। इससे करधान का प्रभावी स्तर बहुत अधिक हो सकता है।

एक बाधा 'उल्टे शुल्क संरचना' (इन्वर्टेड इन्पुट ट्रक्स्टर) के तहत रिफंड से जुड़ी है। यह समस्या तब सामने आती है जब इनपुट पर औसत उत्पादन की तुलना में अधिक दर पर कर लगाया जाता है। इस स्थिति में, अतिरिक्त क्रेडिट लौटाया जाना चाहिए (जैसा कि निचोड़ के लिए शुल्क-रिटर्न के साथ किया जाता है) लेकिन आईटीएसटी नियमों के प्रावधान 89(5) के अंतर्गत रिफंड भी केवल इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर बटलवा आए हैं। सितंबर के मध्य में, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने दिसंबर 2024 के बाद पहली बार अपनी वैचमार्क ब्याज दर में कटौती की और संकेत दिए कि इस साल और कटौती होने की संभावना है। वॉलस्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप, हमने चौबौं प्रतिसार के को कटौती की, जिससे उसकी मुख्य ऋण दर के लिए लक्ष्य सीमा 4-4.25 प्रतिशत हो गई। इस साल दो बार और चौबौं प्रतिसार अमेरिका को कटौती की उम्मीद है, लेकिन फेडरल रिजर्व के अलावा ये यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले को 'पूर्व-निर्धारित' फले के मुद्रास्फीति के पाव के बजाय, फेडरल रिजर्व के आदेश के मुताबिक उद्धारण पाव की और स्थानांतरित हो गया है।

आरबीआई की पिछली मौसिक नीति के बाद, 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर गोलड 9 आधार अंक बढ़कर 6.42 प्रतिशत हो गई क्योंकि बाजार ने नमी के चक्र को खाना होते देखा। यह खाम अस्त के अंतिम सलाह तक जारी रहा, जब 10 वर्षीय बॉन्ड गोलड 6.19 प्रतिशत की उच्च तक पहुंच गया। पिछले सप्ताह की लिए 6.77 लाख करोड़ रुपये सरकारी उद्धारण कीलेंडर का गोलड पर सकारणम प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके अलावा, सार्वजनिक नीलमियों को फरवरी के बजाय मार्च तक बढ़ाना भी

तक हो सौमिंत है। इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर जमा आईटीसी नहीं लौटाया जाता है। निम्नलि जीएसटी दर और प्रावधानी कर बोनस के बीच का अंतर अपना प्रभाव दिखाता है। 5 फीसदी दर ढेगों में एक व्यवसाय के लिए आईटीसी रुकने का मतलब है कि कर भार निम्नलि दर से अधिक है। एक माल आधुनिकता की 14 फीसदी की प्रभावी दर का सामना करना पड़ सकता है जबकि एक सेवा प्रदाता का बोनस बढ़कर 28.4 फीसदी हो सकता है। इस रूप में जीएसटी को अनुभूतिक उपभोग कर नहीं है बल्कि उत्पादन पर लगाने वाले पुराने कर जैसा है।

व्यास्तिक वेट से शर जाना एक सैद्धांतिक समस्या नहीं है बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक एवं स्वायत्त प्रतिष्ठाता है और हमारे सबसे गतिशील क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह नियम सेवाओं के क्षेत्र को असमान रूप से प्रभावित करता है। एक निर्माता अपने कच्चे माल पर रिफंड का दावा कर सकता है लेकिन उसे अब भी सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का संयोज करना होगा। इसके उलट एक सीएफवैब्लर या लॉजिस्टिक्स कंपनी (भले ही कानून में उसके साथ सामान व्यवहार हो) को समान राहत नहीं मिलती है क्योंकि उनके इनपुट मुख्य रूप से अन्य सेवाएं और पूंजीगत साधन होते हैं। नतीजा यह होता है कि विनिर्माण एवं सेवा दोनों में लगभग अधिक रहती है, लेकिन उन

सेवाओं के मामले में बोनस और बढ़ जाता है जहां रिफंड प्रणाली रूप से सबसे अधिक अटक रहते हैं। एक अनुव्यवस्थित क्रेडिट ब्रूइंगला में अभाव के पक्ष में अधिक बुराबाव है। एक धरोर उत्पाद पर निम्नलि 5 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी अंतिम तब कीमत में इसके इनपुट पर बिना क्रेडिट वाले करों के कारण बढ़ती रही होगी है जिससे प्रभावी कर बोनस 14 फीसदी या उससे अधिक हो जाता है। हालांकि, सीमा पर ऐसे ही अवांजित उत्पाद पर निम्नलि दर पर कर लगाया जाता है। यह धरोर उत्पादकों को एक संरचनात्मक नुकसान की स्थिति में पहुंचा देता है। सेवाओं के मामले में नुकसान अधिक होता है जहां इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर बके क्रेडिट प्रावधानी कर बोनस और अधिक बढ़ा देते हैं। इससे प्रतिस्पर्धात्मकता पर गंभीर बाधा पड़ती है।

जीएसटी निवेश पर लगने वाला कर बोनस को खरीदता है। पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट अक्षर वस्तुओं पर बके देया जाता है जब तक कोई परियोजना परिचालन शुरू नहीं करती और स्वयं अपनी कर देवदार भी नहीं करती है। लेकिन वर्तमान समय का 100 रुपये के क्रेडिट अंतर्गत तीन वर्षों में 100 रुपये के क्रेडिट से अधिक मूल्यवान हो जाता है। इस तरी से पूंजी की लगभग बढ़ जाती है।

इस त्रुटिपूर्ण प्रणाली के बीच सितंबर 2025 में हुए 'जीएसटी 2.0' सुधारों ने कई चीजें और खराब कर दी हैं। 12 फीसदी दर ढेगों को 5 फीसदी दर ढेगों में विलय करने से केव्सेडिटी टैक्स के तहत अपने वाली वस्तुओं का दायरा बड़ गया है और प्रभावी उत्पादन करधान अधिक हो गया है। जीएसटी के तहत विनियमों के लिए अंतर्निहित प्रणाली पूरी तरह से बेअसर नहीं हो पाया है, क्योंकि रिफंड में पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी शामिल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ व्यवहार पूर्ण रूप से शुल्क-रट बाला निचोड़ करना है ताकि हम कभी किसी विदेशी पर कर न लगाए। लेकिन नमक, निम्न विश्वी खरीदारों पर कर लगाने और भारतीय निचोड़ों को प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित करने की कोशिश करते हैं।

आरबीआई की रिपोर्टों के अनुसार आईटीसी के 2-6 प्रतिशत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे के निचले सिरे से भी कम था।

अब सवाल यह है कि वृद्धि और मुद्रास्फीति पर क्या नजरिया है? भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन का रुख सितंबर महीने में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी रहा। इसमें वह बताया गया कि खपत मांग में लगातार सुधार हो रहा है और अधिक निवेश तथा मजबूत वृद्धि का एक 'बेहततर चक्र' बन सकता है जो 'लगातार बनी वैश्विक अनिश्चितताओं' की स्थिति से निपट लेगा। इसके अलावा इसमें वस्तु एवं सेवा कर में सुधारों की तारीफ की गई है जिन्हें खराब बचाने, व्यापार को आसान बनाने और खुदरा कोमों को कम करने वाला बताया गया है। इसके अलावा वृद्धि में मदद करने वाले अन्य कारकों में ब्याज दर में बड़ी कटौती का असर, अव्यव में राहत और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य हैं।

ऐसे आशावादी माहौल में आखिर दर कटौती की उम्मीद क्यों का जा रही है? शायद यह दीवारों की तोड़पाव हो, या शायद जो बेहतर स्थिति दिखाई जा रही है वह उतनी बेहतर न हो। एक चिंता का कारण यह है कि जून तिमाही में निम्नलि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.8 फीसदी रही, जो पिछली तिमाही के 10.8 फीसदी से कम है। यह पिछले तीन तिमाहों में सबसे कम है।

अब सवाल यह है कि मासिक नीति समिति अभी कटौती करेगी, या वह दिसंबर की अगली बैठक तक इंतजार करेगी? दिसंबर तक, आमतौर पर वृद्धि दर 8.8 फीसदी हो सकती है। तब सितंबर 2026 को दूसरी तिमाही के जीडीपी के आँकड़े भी उपलब्ध होंगे और जीएसटी कटौती का मुद्रास्फीति पर पूरा असर दिख जाएगा। अगर आरबीआई इस सप्ताह देश को सुधानत रखता है तब नीतिगत रुख के 'नया' रहने की उम्मीद है। (लेखक जून स्मॉल फ्रान्सेस बैंक के वीएफ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

भारत-ईएफ एफटी में हो टेक्नॉलॉजी पर जोर

इस सप्ताह पत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुख्य व्यापार समझौते पर प्रकाशित लेख तथ्यपरक है। यूरोपीय संघ के देशों की व्यापारिक आवश्यकताओं और टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में उनके एडवांजिड को समझाकर अगर मुख्य व्यापार समझौता किया जाए तो भारत और यूरोपीय संघ दोनों को लाभ होगा। भविष्य में वैश्विक व्यापार में टेक्नॉलॉजी संधिगत समझौते हो भारत को शिक्षा पर स्थितिगत कर सकते हैं। यूरोपीय देशों में तापमान बहुत कम रहने से उनके डेटा सेंटर हो अमेरिका सहित सभी देशों को डेटा की आपूर्ति करते हैं। भारत में डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं परंतु सौर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। इस पक्ष का भी मुख्य व्यापार समझौते में प्रावधान रखना चाहिए। अमेरिका में आक्रान्त संवैधानिक नियमों की सख्ती के कारण हमारे विद्यार्थियों के लिए यूरोप के प्रतिस्पर्धित विषय-



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की फाइनल फोटो

विद्यालयों में प्रवेश को भी इस समझौते में समाविष्ट होना चाहिए। परदेशी को लेकर भारत और यूरोपीय देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं, इसलिए भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील

दिया जाना चाहिए। भारत के नीति निर्धारकों को यूरोपीय संघ के देशों और भारत के प्रमुख व्यापार संगठनों, टेक्नॉलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष उद्योगियों और निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जंक्शन मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं: lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना ड्राफ्ट पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कर के मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहिए। विनोद जीहरी, दिल्ली

अमेरिकी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी चुनौती और अवसर एच।बी वीजा शुल्क वृद्धि से वैश्विक तकनीकी उद्योग में हलचल पैदा हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका में कुल एच।बी वीजा धारकों में करीब 71 फीसदी भारतीय हैं। शुल्क वृद्धि के बाद कई कंपनियों विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने से पहले दो बार सोचेंगी। जिससे कई भारतीय प्रतिभाएं अमेरिका में काम करने के बजाय अपने देश में ही अवसर तलाशेंगी। जिससे प्रमुख फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और कृत्रिम बुद्धिमान जैसी नई तकनीकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा

यह शुल्क वृद्धि भारत के लिए अप्रत्याशित और चुनौती भी। सुभाष बुढ़ानन वाला, तलला

दीर्घकालिक लाभदायक फैसला

एच।बी वीजा शुल्क वृद्धि भारत के लिए सकारणम रूप से देखें तो भारतीय आईटी कंपनियों की लगभग बड़ेगी और पेशेवरों के लिए अमेरिका का कठिन होगा, जिससे रोजगार विदेशी मुद्रा अपर प्राप्तिगत हो सकती है। सकारणमक पक्ष यह है कि यह पलायन रोककर भारत को अपने प्रतिभाशाली युवाओं को देश में ही अवसर देने और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का अवसर देता है। कुल मिलाकर अनुभूतिक रूप से अव्यव है, लेकिन दीर्घकाल में यह भारत को आत्मनिर्भर और नवाचार केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। अनुमल्ल मारु, इंदौर

देश-दुनिया



विपतनाम के शान्त होआ में सोमवार को चक्रवात 'बुनालो' तट से टकराया। इससे पहले रविवार को ही देश के मध्य और उत्तरी प्रांतों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था।



